

ग्रामीण सेवा शिविर-2025


प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प गरागा

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रवटकडा
व मूअनि वरेडिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगडा / नायब
तहसीलदार रेलमगडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 138 के अनुरारण में ग्राम रवटकडा तहसील रेलमगडा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संपत् 2077 में खाता संख्या 372 416 417 418 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>रवटकडा</u>	<u>372</u>	<u>शोहन पुत्र गोविण पीठ</u>	<u>शोहन पुत्र गोविण पीठ</u>
02	"	<u>416</u>	<u>do</u>	<u>do</u>
03	"	<u>417</u>	<u>do</u>	<u>do</u>
04	"	<u>418</u>	<u>do</u>	<u>do</u>


पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी रेलमगडा सहायक कलक्टर

दिनांक :- 10/10/25

क्रमांक- 311
प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार रेलमगडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री रवटकडा को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।


पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी रेलमगडा सहायक कलक्टर